प्रगति

अप्रैल-जून (2025)

त्रैमासिकी

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/मंचेश्वर

संदेश

प्रगति पत्रिका के द्‌वितीय संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पत्रिका हमारी कार्यशाला की उपलब्धियों, नवाचारों और एकजुटता का प्रतीक है। इस अवसर पर, मैं आप सभी से राजभाषा हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने का विशेष आह्वान करता हूँ।

हिन्दी हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है और कार्यस्थल पर इसके प्रयोग से हम न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हैं, बल्कि संवाद को और प्रभावी बनाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने दैनिक कार्यों, पत्राचार, और बैठकों में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह छोटा-सा प्रयास हमारी कार्यशाला को एक सशक्त और समावेशी मंच बनाएगा।

आइए, प्रगति के इस अंक के माध्यम से हिन्दी के प्रति अपनी प्रतिबद्‌धता को नया आयाम दें और इसे अपनी कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाएँ। आप सभी के सहयोग से हम राजभाषा हिन्दी को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

(अमित सिन्हा)
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/मंचेश्वर

रचनाएँ

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	हिन्दी साहित्य की अनमोल निधि से:	
	अ. हिमालय	1
	आ. मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ	4
	इ. तुम कब जाओगे, अतिथि	5
2.	स्वामित्व (लघु कथा)	8
3.	मोबाइल मेरा सबसे प्यारा (कविता)	9
4.	बात करने वाले जानवर (कहानी)	10
5.	प्रिंसपल	11
6.	पहलगाम (कविता)	11
7.	तिसरा पहर (कविता)	12
8.	राजभाषा नियम 1976	13
9.	सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण	16
10.	विभिन्न प्रोत्साहन एवं परुस्कार योजनाएं	17
11.	कोचों में पी.वी.सी. फ्लोरिंग (कार्य निर्देश)	18
12.	सी.टी.आर.बी. (कार्य निर्देश)	20
13.	कारखाना डायरी	21

हिमालय

रामधारी सिंह 'दिनकर' (23 सितम्बर 1908-24 अप्रैल 1974) हिन्दी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबन्धकार थे।

उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।

महाभारत पर आधारित उनके प्रबन्ध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के १०० सर्वश्रेष्ठ काव्यों में ७४वाँ स्थान दिया गया।

मेरे नगपति! मेरे विशाल!
साकार, दिव्य, गौरव विराट्,
पौरुष के पुन्जीभूत ज्वाल!
मेरी जननी के हिम-किरीट!
मेरे भारत के दिव्य भाल!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

युग-युग अजेय, निर्बन्ध, मुक्त,
युग-युग गर्वोन्नत, नित महान,
निस्सीम व्योम में तान रहा
युग से किस महिमा का वितान?
कैसी अखंड यह चिर-समाधि?
यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?
तू महाशून्य में खोज रहा
किस जटिल समस्या का निदान?
उलझन का कैसा विषम जाल?
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

ओ, मौन, तपस्या-लीन यती!

पल भर को तो कर दृगोन्मेष!
रे ज्वालाओं से दग्ध, विकल
है तड़प रहा पद पर स्वदेश।
सुखसिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र,
गंगा, यमुना की अमिय-धार
जिस पुण्यभूमि की ओर बही
तेरी विगलित करुणा उदार,
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रान्त
सीमापति! तू ने की पुकार,
'पद-दलित इसे करना पीछे
पहले ले मेरा सिर उतार।'
उस पुण्यभूमि पर आज तपी!
रे, आन पड़ा संकट कराल,
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे
डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल।
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

कितनी मणियाँ लुट गईं? मिटा
कितना मेरा वैभव अशेष!
तू ध्यान-मग्न ही रहा, इधर
वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।
वैशाली के भग्नावशेष से
पूछ लिच्छवी-शान कहाँ?
ओ री उदास गण्डकी! बता
विद्यापति कवि के गान कहाँ?
तू तरुण देश से पूछ अरे,
गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग?
अम्बुधि-अन्तस्तल-बीच छिपी
यह सुलग रही है कौन आग?

प्राची के प्रांगण-बीच देख,
जल रहा स्वर्ण-युग-अग्निज्वाल,
तू सिंहनाद कर जाग तपी!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!

रे, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,
जाने दे उनको स्वर्ग धीर,
पर, फिरा हमें गाण्डीव-गदा,
लौटा दे अर्जुन-भीम वीर।
कह दे शंकर से, आज करें
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार।
सारे भारत में गूँज उठे,
'हर-हर-बम' का फिर महोच्चार।
ले अंगडाई हिल उठे धरा
कर निज विराट स्वर में निनाद
तू शैलराट हुँकार भरे
फट जाए कुहा, भागे प्रमाद
तू मौन त्याग, कर सिंहनाद
रे तपी आज तप का न काल
नवयुग-शंखध्वनि जगा रही
तू जाग, जाग, मेरे विशाल॥

मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ!

दुष्यंत कुमार (27 सितंबर 1931-30 दिसंबर 1975) एक हिन्दी कवि , कथाकार और ग़ज़लकार थे। सिर्फ़ 44 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। वे 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में आये। मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी रहे। 1975 में उनका प्रसिद्ध ग़ज़ल संग्रह 'साये में धूप' प्रकाशित हुआ। इसकी ग़ज़लों को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि उसके कई शेर कहावतों और मुहावरों के तौर पर लोगों द्वारा व्यवहृत होते हैं। 52 ग़ज़लों की इस लघुपुस्तिका को युवामन की गीता कहा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी।

मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ,
वो ग़ज़ल आप को सुनाता हूँ,
एक जंगल है तेरी आँखों में,
मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ,
तू किसी रेल सी गुज़रती है,
मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ,
हर तरफ़ एतराज़ होता है,
मैं अगर रौशनी में आता हूँ,
एक बाज़ू उखड़ गया जब से,
और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ,
मैं तुझे भूलने की कोशिश में,
आज कितने क़रीब पाता हूँ,
कौन ये फ़ासला निभाएगा,
मैं फ़रिश्ता हूँ सच बताता हूँ।

तुम कब जाओगे, अतिथि!

'शरद जोशी' (१९३१-१९९१) हिन्दी जगत के प्रमुख व्यंगकार रहे हैं । इन्होंने व्यंग्य लेख , व्यंग्य उपन्यास , व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य-व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे। हिन्दी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। इनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण मिलता है।

आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार-बार मन में घुमड़ रहा है—तुम कब जाओगे, अतिथि?

तुम जहाँ बैठे निस्संकोच सिगरेट का धुआँ फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना! इसकी तारीख़ें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीख़ें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो , अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन! पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रॉनाट्स भी इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे, जितने समय तुम एक छोटी-सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण-कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके , तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया , तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली ; तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ , अतिथि! तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाईटाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती?

उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर-ही-अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह-भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी।

तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि , हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च-मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्ज़ियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमाननवाज़ी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के

लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि-सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत-सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुक थे , वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दुपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आख़िरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। पर तुमने ऐसा नहीं किया।

तीसरे दिन को सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ।

यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है।

किसी लॉण्ड्री पर दे देते हैं , जल्दी धुल जाएँगे। मैंने कहा। मन-ही-मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है।

कहाँ है लॉण्ड्री?

चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा।

कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा।

इनके कपड़े लॉण्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा।

मेरी पत्नी की आँखें एकाएक बड़ी-बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आँखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आँखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा।

और आशंका निर्मूल नहीं थी , अतिथि! तुम जा नहीं रहे। लॉण्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे-धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो , न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फ़िल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन-देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार , बच्चे, नौकरी, फ़िल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार-नियोजन, मँहगाई, साहित्य और

यहाँ तक कि आँख मार-मारकर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी ज़िक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनैः शनैः बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएँ गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार-बार यह प्रश्न उठ रहा है–तुम कब जाओगे, अतिथि?

कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये?

मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ!

मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। हलकी रहेगी।

बनाओ।

सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे , खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे-मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुज़र रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि!

तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है न! मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते , पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट-होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है , पर सोचो प्रिय, कि शराफ़त भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है, जो बोला जा सकता है।

अपने ख़र्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पाँचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है, वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि , मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आख़िर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि! इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ!

उफ़, तुम कब जाओगे, अतिथि?

स्वामित्व (लघु कथा)

माहौल गर्म था। आज गांव के नहर किनारे नीम के पेड़ वाली जमीन के कब्जे के लिए दो गुट जुटे हुए थे। दोनों तरफ के पूरे खानदान लट्ठ, बंदूक आदि ले के जमा थे। थाने से पुलिसवाले भी बवाल का सुनकर आ चुके थे। बहस जारी थी। कागज दिखाये जा रहे थे। बात बढ़ती देख थानेदार ने कहा, "जब तुम लोग कागज नहीं मानते तो यहाँ से भीड़ हटाओ और कोर्ट जाओ। और कोई रास्ता नहीं । जमीन तो अब आके कहेगी नहीं न कि वो किसकी है!"

ये सुन जमीन सोच में पड़ गई थी। उसे खुद याद नहीं आ रहा था आखिर वो है किसकी। कई ने अपना कहा था, करोड़ों साल की उसकी आयु में अनगिनत बार उसके स्वामित्व के लिए संघर्ष किया था। मानवों ने भी हजारों साल में उसके लिए एक-दूसरे का खून बहाया था। उसके लिए युद्ध भी हुए थे। जिन वीरों, विजेताओं, आक्रान्ताओं ने उसे शक्ति से रक्तपात से पा लिया था, वो भी कब के मिट्टी में जा मिले थे। कुछ विश्व-विजेता तो उसी में गड़े थे और उन विश्व विजेताओं के रक्त, मांस भी मिट्टी में मिलकर उसी का अंश बन चके थे। शायद ये तत्कालीन मानव प्रजाति भी कुछ हजार सालों में ना रहे। फिर हो सकता है कोई नई प्रजाति आए। हो सकता है उसे सद्भाव, संतोष, संतुलन, सामंजस्य का मार्ग और जीवन और समय के मुल्य का ज्ञान हो। खैर, देखा जाएगा। वैसे भी जमीन को कौन सा कहीं जाना था।

अमित सिन्हा
मुख्य कारखाना प्रबंधक

मोबाइल मेरा सबसे प्यारा (कविता)

मोबाईल मेरा सबसे प्यारा, जिसके लिए मैंने सबको छोड़ा।
मोबाईल से जब नाता जोडा, टेलीफोन, घड़ी को दूर पछाड़ा।
भूल गया ए.टी.एम. व बैंक जाना, मोबाईल जब से बन गया अपना।
कॉलकुलेटर को बाहर फेंका, कैमरा के तरफ कभी ना देखा।
टेलीविजन में मन नहीं लगता,जब से मोबईल बन गया प्यारा।

खेलकूद, मैदान भी भुला, सिनेमा हॉल को कभी ना देखा।
बैटरी टार्च को घर से फेंका, ग्रिटींग्स कॉर्ड भी कभी ना लिखा।
बंद हो गया होटल जाना, घर में पहुंचा देता किराना।
जहां चाहूं रंगमंच है मेरा, जब से मोबाईल बन गया प्यारा।

कलम-कॉपी को पास न रखता, पैकेट डायरी से छुट गई याराना।
नेट कंप्यूटर अब नहीं जरुरत, मोबाईल जब से बन गया प्यारा।
किताब छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, घर परिवार दोस्तों से नाता तोड़ा।
भुल गया लिखना चिट्ठी दोबारा, जब से मोबाईल बन गया प्यारा।
जिसके लिए मैं सबको छोड़ा, मोबाईल मेरा सबसे प्यारा।

गोपीनाथ मलिक
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता(पहिया)

बात करने वाले जानवर (कहानी)

शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राधा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे अपने आस-पास की दुनिया, खासकर पशु-पक्षी एवं जानवर बहुत पसंद थे। राधा घंटों पार्क में समय बिताती थी, वह पेड़ों पर चढ़ती गिलहरियों को देखती थी, पक्षियों को मधुर गीत गाते हुए देखती थी, और घास पर ख़ुशी से उछलते खरगोशों को देखती थी।

एक दोपहर, जब वह पार्क में अपने पसंदीदा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पलट रही थी, उसने एक आवाज़ सुनी, जो दिन के समान स्पष्ट थी। "माफ करना, क्या आप वह चॉकलेट ख़त्म करने वाली हैं?" राधा ने इधर-उधर देखा लेकिन कोईदिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नज़र चट्टान पर बैठी एक छोटी भूरी गिलहरी पर पड़ी , जो उसे अपनी प्यारी , चमकती आँखों से घूर रही थी। गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाई एवं सिर हिलाया और कहा कि मुझे भूख लगी है। राधा ने अविश्वास में पलकें झपकाईं। उसने झिझकते हुए गिलहरी को उसका एक टुकड़ा दिया। गिलहरी ने चॉकलेट का एक टुकड़ा लिया और कहा कि हम हमेशा बात करते रहते हैं... लेकिन केवल विशेष मनुष्य ही हमारी आवाज़ सुन सकते हैं।हम जानवरों को इंसानों की सदैव ज़रूरत होती है। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। इस पार्क के सभी जानवर ख़तरे में हैं क्योंकि पार्क के स्थान पर अब मॉल बनने वाला है। हमसभी को अच्छे इंसान की आवश्यकता है।

उस शाम, राधा घर की ओर दौड़ी , अपनी कला की सामग्री उठाई और पोस्टर बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन स्कूल में, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पार्क को बचाने की अपनी योजना साझा की। जल्द ही पूरा स्कूल उत्साह से गूंज उठा। राधा और उसकी सहपाठियों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। उन्होंने शहर में रंग-बिरंगे बैनर लेकर मार्च किया , जिसमें लिखा था "पार्क बचाओ"। उसने कहा कि यह अनगिनत जानवरों का घर है। अगर हम इसे नष्ट कर दें। तो जानवर मर जाएंगे। आखिर मॉल पार्क को नुकसानु पहँचाए बिना बनाया गया था। सभी जानवर खुश हो गए और राधा को धन्यवाद दिया। उस दिन से जब भी राधा पार्क में जाती, तो वह पेड़ों की ओर देखती , यह जानकर कि उसके गुप्त दोस्त हमेशा आस-पास ही हैं , उससे बात करने के लिए तैयार.

बनमाली दाश

कार्यालय अधीक्षक(कार्मिक

प्रिंसिपल (कविता)

यदि मैं प्रिंसिपल होता, ऐसा नियम बनाता
शिक्षक सभी उपस्थित रहते, कोई कहीं नहीं जाता।
बिना शुल्क के सभी बच्चों को रोज पढ़ाया जाता,
एक बार हप्ते में सबको, फ्री सर्कस दिखलाता
टूर कराए जाते प्रतिदिन, गेम्स खेलाए जाते।
जिन बच्चों को जब मन करता, तब पढ़ने को आते।
बाईस रोज छुट्टी रहती, आठ रोज पढ़ाया जाता
शिक्षक सभी मौज ही करते, खुशी सदा रहती छाई
बच्चों, कभी चुक न जाना, कसकर जोर लगाना।
जैसे हो इस बार प्रिंसिपल, मुझको ही बनवाना।

शशिकांत मिश्रा
कार्यालय अधीक्षक(कार्मिक)

पहलगाम (कविता)

कभी नहीं संघर्ष से खाली, इतिहास रहा हमारा।
हत्या हुए जो नागरिक, उनको नमन हमारा।
पहलगाम हमले में, हरित मैदान जहां हुई लहुलुहान।
किसी ने खोया बेटा, किसी ने पति खोया।
बलिदान कहुं या कुर्बानी, आँखे सबकी नम हुई।
स्वर्ग के गोद में ये, कैसा नरक पसरा हुआ है।
पग-पग छाया आतंकवाद, हर जर्रा खून से लाल हुआ है।
पहलगाम आतंकवादी हमले में, जिसने किमती जान गंवाईहै।
अपने प्राणों की कुर्बानी देकर, तुमने हर भारतीय को जगाई है।
बहन से भाई का राखि दूर हुआ, बीबी के कंगन टूट गए।
हाय, पिता की लाठी टूटी, मां का लाल दूर हुआ।

संजय कुमार (वरिष्ठ अनुवादक)

तीसरा पहर (कविता)

तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है।
सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है।
दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा-जोखा बहुत हुआ ।
इस जग ने हमसे क्या पाया, बस यह गणनाएं बाकी हैं।
इस भाग-दौड़ की दुनिया में, हमको एक पल का होश नहीं।
वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं ।
क्या यूं हीं जीवन बितेगा, क्या यूं हीं सांसे बंद होंगी ?
औरों की पीड़ा देख समझ, कब अपनी आंखे नम होंगी ?
मन के अंतर में कहीं छिपे, इस प्रश्न का उत्तर बाकी है।
मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने।
यह करते-करते शाम हुई, इससे पहले तम छा जाए।
इससे पहले कि शाम ढ़ले, सूर्य आंखे बंद कर जाए।
कुछ दूर परायी बस्ती में, एक दीप जलाना बाकी है।
तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है।

संजय कुमार (वरिष्ठ अनुवादक)

राजभाषा नियम-1976

नियम-1 :केंद्र सरकार ने प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 12 नियम बनाए हैं, जो तमिलनाडू को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू है। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:-

नियम-2 : राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'क' 'ख' और 'ग' तीन भाषावार क्षेत्रों मे परिभाषित/वर्गीकृत किया गया है।

'क''ख' एवं 'ग' क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम		
क क्षेत्र Region A	**पूर्णत: हिंदी भाषी क्षेत्र**	बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उतरांचल, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली
ख क्षेत्र Region B	**अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र (ऐसे राज्य जिन्होंने हिंदी को विधिवत रूप से अपना लिया है)**	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली
ग क्षेत्र Region C	**पूर्णत: अहिंदी भाषी क्षेत्र (ऐसे राज्य जिन्होंने कानुनी रूप से हिंदी को अभी तक नहीं अपनाया है)**	उपर्यूक्त क क्षेत्र और ख क्षेत्र में शामिल न किए गए शेष सभी राज्य/संघ राज्य ग क्षेत्र में आते हैं। अत: ओडिशा भुवनेश्वर स्थित सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/मंचेश्वर भी इसी में शामिल है।

नियम-3 :राज्यों आदि तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि।

नियम-4 :केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि।

नियम-5 :इसके अंतर्गत किसी भी कार्यालय या व्यक्ति से हिंदी मे प्राप्त होने वाले पत्रों का जवाब हिंदी में देना अनिवार्य है।

नियम-6 :धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले समस्त दस्तावेजों को हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी करना अनिवार्य है।

नियम-7 : कोई आवेंदन, अभ्यावेदन या अपील अंग्रेजी मे बनाया गया हो एवं उनपर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबधी विषयों यथा अनुसासनिक कार्यवाहियों से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो वह उसे अविलम्ब उसी भाषा में दी जाएगी।

नियम-8 :(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, उससे दूसरी भाषा में अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार को कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो अन्यथा नहीं।

(3) विधिक/तकनीकी दस्तावेज का निर्धारण कार्यालय प्रमुख करेगा।

(4) केंद्र सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां कर्मचारियों को हिंदी में प्रविणता प्राप्त है। इसके पश्चात् वहां नोटशीट, पत्राचार तथा अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी में कार्य किया जाएगा।

नियम-9 :हिंदी में प्रवीँणता :यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की है, या स्नातक या समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या स्वंय विहित फॉर्म में हिंदी में प्रवीणता घोषित कर दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम-10 : हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान : यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षाहिंदी विषय के साथ पास की है, या केंदीय सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित प्राज्ञ या उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा पास की हो, या स्वंय विहित फॉर्म में हिंदी में अपने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किए जाने का घोषणा कर दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम-10(2): यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों में से 80% ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यत: यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम-10(4): केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में 80 % कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से 80% से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उद्घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारिख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

नियम-11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि :-

केंद्र सरकार से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी औऱ अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी होंगे। रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में होंगेकेंद्रीय सरकार के सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष एवं लिफाफे पर होंगे। लिखे गए लेख तथा लेखन-सामग्री की अन्य़ मदें हिंदी औऱ अंग्रेजी द्विभाषी रूप में होंगे।

नियम-12 : अनुपालन का दायित्व :-केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि वे यहसुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, नियमों, वार्षिक कार्यक्रमों का समुचित अनुपालन/कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के भाग 5(120), धारा 6(210) और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिंदी के लिएप्रावधान किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 343 और 351 अति महत्वपूर्ण हैं।

संघ की राजभाषा हिंदी

संविधान का अनुच्छेद 343(1) :संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संविधान का अनुच्छेद 351 :संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभीव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बगैर हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची मे उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत : संस्कृत और गौणत : अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं

(अनुच्छेद 344(1) और 351

1. असमिया	2. बंगला	3. गुजराती	4. हिंदी	5. कन्नड	6. कश्मीरी
7. कोंकणी	8. मलयालम	9. मणिपुरी	10. मराठी	11. नेपाली	12. ओडिआ
13. पंजाबी	14. संस्कृत	15. सिंधी	16. तमिल	17. तेलुगु	18. उर्दू
19. मैथिली	20. डोगरी	21. बोडो	22. संथाली		

टिप्पणी:- मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को हाल ही में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2003 में पारित किया गया। राष्ट्रपति महोदय ने 2 जनवरी 2004 को इसे मंजूरी प्रदान की है।

सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण

अनिवार्यता/पाठ्यक्रम/स्तर/पात्रता/नकद पुरस्कार/वैयक्तिक वेतन

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अंतर्गत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभई कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत इस समय निम्नलिखित **तीन पाठ्यक्रम** हैं:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	स्तर	पात्रता
1.	प्रबोध	यह प्रारंभिक पाठ्यक्रम है और इसका स्तर लगभग प्राइमरी स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।	केंद्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों के लिए विहित शिक्षा का स्तर मैट्रिकुलेशन या उससे कम है और जिनका कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियां लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती है। (जैसे- स्टॉफ कार या इंजन ड्राइवर,रिकार्ड सार्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर, ऑपरेटर, डाकिया, टेलिफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए प्रबोध तक प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है।
2.	प्रवीँण	यह बीच का पाठ्यक्रम है और इसका स्तर लगभग मिडिल स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।	केंद्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को सामान्यत: स्वयं कोई सचिवालयीन काम करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक है(जैसे- डॉक्टर, वैज्ञानिक, वर्कशॉप तथा प्रयोगशाला आदि के पर्यवेक्षक कर्मचारी आदि) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है।
3.	प्राज्ञ	यह आखिरी पाठ्यक्रम है और इसका स्तर हाईस्कुल की हिंदी के स्तर के बराबर है।	केंद्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को सचिवालयीन काम करना, टिप्पणियां लिखना तथा पत्र व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए अंतिम पाठ्यक्रम अर्थात प्राज्ञ का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उपर्युकत पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं वर्ष में दो बार(मई और नवंबर) में आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं में निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार **प्रोत्साहन नकद पुरस्कार** प्रदान किया जाता है।

निर्धारित अंक	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
55 से 59 प्रतिशत तक	रू. 400/-	रू. 600/-	रू. 800/-
60 से 69 प्रतिशत तक	रू. 800/-	रू. 1200/-	रू. 1600/-
70 प्रतिशत से अधिक	रू. 1600	रू. 1800/-	रू. 2400/-

इसके अतिरिक्त निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम उत्तीण करने पर कर्मचारियों को परीक्षाफल घोषणा तिथि के अगले माह से 12 (बारह) महीने के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर **वैयक्तिक वेतन** दिया जाता है।

विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं

भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार रेलों के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं
1.	कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार योजना
2.	रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक पुरस्कार योजना
3.	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी तथा अन्य वैजयंतियां
4.	लाल बहादूर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना
5.	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना(काव्य संग्रह के लिए)
6.	प्रेमचंद पुरस्कार योजना(कहानी संग्रह/उपन्यास के लिए)
7.	रेल मंत्री राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना
8.	अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता पुरस्कार योजना
9.	अखिल रेल हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता पुरस्कार योजना
10.	अखिल रेल हिंदी वाक् प्रतियोगिता पुरस्कार योजना
11.	रेल मंत्री निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार योजना
12.	हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना
13.	रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना
14.	रेल राजभाषा पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत करने की योजना
15.	हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना
16.	हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना
17.	सरकारी कामकाज(टिप्पण/प्रारूप लेखन) मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए पुरस्कार योजना (क/ख क्षेत्र में 20,000 शब्द और ग क्षेत्र में 10,000 शब्द लिखने पर
18.	टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की पुरस्कार भत्ता योजना(5 पत्र/टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा 300 शब्द टाइप करने पर)

कोचों में पीवीसी फ्लोरिंग (कार्य निर्देश)

1. निम्नलिखित मामलों में कोचों से पीवीसी फर्श हटा दें।

(क) दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त/फटा हुआ पीवीसी को

(ख) रंग एवं छाया फीकापड़े पीवीसी को

(ग) यदि नीचे का प्लाईवुड खराब लग रहा हो।

(घ) यदि नीचे का फ्लोर (फर्श) चैनल जंग खाया हुआ, टुटा हुआ, असमान लगता है।

(ङ) एस.एस.-II/ एस.एस.- III एल.एच.बी. कोचों के गलियारे क्षेत्र का पीवीसी।

2. फर्श चैनल का कार्य पूरा होने के बाद 12 मि.मी. की कम्प्रेग प्लाई द्वारा फर्श को उचित समतल करने के बाद, सुनिश्चित करें कि फर्श क्षेत्र को ठीक से साफ किया गया है।

3. कोच की आधी चौड़ाई पर (कोच के अंदर) पीवीसी रोल/शीट को फैला दें और इसे कुछ समय के लिए (लगभग 30 से 40 मिनट) ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह फर्श पर सपाट पड़ा रहे।

4. पी.वी.सी. रोल/शीट पर खंभों, सीट फ्रेम आदि की स्थिति को ठीक से चिन्हित करें और खंभों तथा फ्रेम के चारों ओर सफाई से काटें।

5. रोल को आधा मोड़ें और कंप्रेग सब-फ्लोर पर नोचेड ट्रॉवेल(सेरेटर) से चिपकने के लिएगोंद की एक पतली और समान परत फैलाएं।

6. पी.वी.सी. फर्श के खुरदुरे पीछे वाले भाग पर भी पतला सा चिपकाने वाला पदार्थ लगाएँ तथा ऊपर से भी चिपका दें।

7. विलायक वाष्प को फंसने से रोकने के लिए विलायक वाष्पीकरण के लिए या लगाए गए गोंद को सुखने के लिए कुछ समय (लगभग 30 मिनट) दें। जैसे हीं चिपकने वाला पदार्थ फर्श और पी.वी.सी. फ्लोरिंग दोनो पर सुख जाए, शीट को धीरे-धीरे, एक-एक करके नीचे की ओर दबाएँ और हवा को फँसने से रोकने का ध्यान रखें। उसी रोल के दूसरे आधे हिस्से के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं।

8. पी.वी.सी. बिछाने के दौरान वेल्डिंग की अनुमति नहीं है, क्योंकि चिपकने वाला पदार्थ ज्वलनशील सामग्री है।

9. पहले रोल का चिपकाने का काम समाप्त होने के बाद, 25 किलोग्राम (लगभग) के स्टिल रोलर से फर्श पर दबाव डालें, ताकि पी.वी.सी. फर्श और कंप्रेग सब फ्लोर के बीच सही चिपकाव प्राप्त हो सके और फंसी हुई हवा को बाहर निकाला जा सके।

10. दूसरे रोल को इस तरह बिछाया जाना चाहिए कि वह पहली शीट पर लगभग 5 से 10 मि.मी. तक ओवरलेप हो। रोल को फैलाते समय, यह सुनिश्चित करें कि पी.वी.सी. फ्लोरिंग पर किए गए कट या विभाजन शीट फ्रेम के खंभों से मेल खाते हों।

11. ओवरलैपिंग के किनारों को केंद्र के साथ एक सीधा किनारा रखकर लंबाई को काटें, और एक तेज चाकू से, एक ही समय में पी.वी.सी. फ्लोरिंग की दोनों मोटाई को काटें। पी.वी.सी फ्लोरिंग के उपर और नीचे के ओवरलैपिंग किनारों को बाहर निकालें तथा सही बट जोड़ प्राप्त करने के लिए इसे कंप्रेग फ्लोर पर दबाएं।

12. एक ग्रूविंग टूल (हाथ या स्वचालित) के साथ एक सीधा किनारा/स्केल का उपयोग पी.वी.सी. फ्लोरिंग की वियर लेयर की मोटाई के लगभग दो तिहाई तक सीम के बटिंग किनारों को ग्रूव करने के लिए किया जाता है। इससे थर्मो वेल्डिंग के लिए एक अर्ध-वृताकार खांचा बन जाएगा ।

13. सीम को लचीले पारदर्शी विनाइल वेल्डिंगकॉर्ड का उपयोग करके हॉट-एअर गन से थर्मो-वेल्ड किया जाता है। अधिकतम मजबूती के लिए थर्मो-वेल्डेड सीम को सुनिश्चित करने के लिए, गन को फ्लोरिंग के लिए सही कोण पर रखा जाना चाहिए और सही गति से उपयोग किया जाना चाहिए। सही कोण तब प्राप्त होता है जब वेल्डिंग नोजल का 'फुट' फ्लोरिंग की सतह के समानांतर होता है। सामग्री के सही विलय को सुनिश्चित करने के लिए लचीली कॉर्ड को सबसे समान और कुशल स्तर पर पी.वी.सी. फ्लोरिंग में वेल्ड करना शुरू करें। खांचे के अंत को जितना संभव हो सके उतना करीब से खत्म करें। पी.वी.सी. फ्लोरिंग पर खांचे के सिरों का वेल्डिंग हाथ रोलर के उपयोग से की जा सकती है।

14. जब वेल्ड कमरे के तापमान तक ठंडा हो जाए, तो इसे ट्रिमिंग स्पैटुला के साथ सामग्री के सतह पर समतल करके काटा जाना चाहिए। यदि वेल्डिंगकॉर्ड के ठंडा होने से पहले काटा जाता है, तो यह फ्लोरिंग की सतह के नीचे सिकुड़ जाएगी। यदि इस चरण में, स्पैटुला वेल्ड को परेशान करता है,तो यह इंगित करता है कि सकारात्मक(सही) जोड़ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर मौजुदा वेल्ड को हटा दिया जाना चाहिए और सीम को फिर से वेल्ड किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पी.वी.सी. फ्लोरिंग का उचित बॉन्ड कंप्रेग बेस फ्लोर से प्राप्त हो, इसे 24 घंटे तक सूखने देना चाहिए।

सीटीआरबी मरम्मत प्रक्रिया (कार्य निर्देश)

सीटीआरबी का मरम्मत प्रक्रिया के लिए लेआउट करें।

1. सीटीआरबी का मरम्मत करने के लिए व्हील इन करें।
2. संपीड़ित हवा से लॉकिंग बोल्ट के छेदों को साफ करें।
3. सुधार (संशोधन) हेतु।
4. जर्नल/शोल्डर सुधार के लिए पहिया भेजें।
5. यदि सुधार(संशोधन) ठीक है।
6. जर्नल और शोल्डर का निरीक्षण(जाँच) करें।
7. सीटीआरबी का आंतरिक व्यास मापें।
8. शोल्डर के उपर में जंग निरोधक लागू करें।
9. एक्सल के उपर पायलट स्लीव को कसें।
10. जर्नल पर चिकनाई लगाएं और बेयरिंग असेंबली को पायलट स्लीव पर रखें।
11. एस.के.एफ. सी.टी.आर.बी.28-32 टन और टिमकेन सी.टी.आर.बी.37-42 टन के लिए जर्नल माउंटिंग प्रेशर पर सीटीआरबी को माउंट करें।
12. आसानी से चलना सुनिश्चित करने के लिए CRTB को घुमाएं और पायलट को उतारें।
13. नए सी.टी.आर.बी.के लिए (0.025-0.330 मिमी) और सेवा में के लिए (0.02-0.500nm) के माउंटिंग एंड प्ले की जांच करें।
14. बैकिंग रिंग और एक्सल के संपर्क(मिलन) क्षेत्र पर सिलिकॉन सीलेंट लगाएं
15. टॉर्क रिंच की सहायता से 200 एन.एम. टॉर्क से, एम 20 कैप स्क्रू के साथ सुरक्षा प्लेट और सुरक्षा डिस्क को कसें।
16. मुक्त गति सुनिश्चित करने के लिए सीटीआरबी को पुनः घुमाएं।
17. लॉकिंग प्लेट के टैब्स को मोड़कर कैप स्क्रू को सील करें।
18. पहिया सेट को भेजें।

कारखाना डायरी

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

शिशु निकेतन मंचेश्वर में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

महिला दिवस समारोह का आयोजन

महिला स्वास्थ्य शिविर

आर.पी.एफ. रेलवे कॉलोनी मंचेश्वर का नवीनीकरण

रेलवे क्वाटरों की मरम्मत एवं रंगाई-पताई

महिला विश्राम कक्ष का उद्‌घाटन

आदिमाता चौक से कारखाना के कार्यालय तक सड़क की मरम्मत

कर्मचारियों की जागरूकता के लिए स.डि.म.का/मंचेश्वर में यूपीएस हेल्पडेस्क स्थापित

यूबीआरआई में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

इनोकलम उत्पादन संयंत्र का नवीनीकरण

प्रशिक्षण

विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर में एमसीएसडब्ल्यू तकनीकी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन

एल.एच.बी. बोगी सेक्शन की गुणवत्ता वृद्धि हेतु मशीन की स्थापना

एंटी रोल बार प्रेसींग मशीन का स्थापना 17.03.2025 को बोगी शॉप मे	एयर स्प्रिंग टेस्ट ऋग मशीन का स्थापना 20.03.2025 को बोगी शॉप मे हुआ

दिनांक 11.04.2025 को एसी शॉप में उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 टन क्षमता वाली ईओटी क्रेन चालू की गई।

कारखाना मे बी.वी.जेड.आई. के आई.ओ.एच. और पी.ओ.एच. प्रारंभ अप्रैल से किया गया अप्रैल-मई में बीवीजेडआई का संचयी उत्पादन: 14(पीओएच-8 , आईओएच-6)।

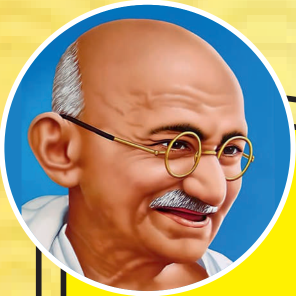

राष्ट्रभाषा के बिना
राष्ट्र गूंगा है ।

\- महात्मा गांधी